पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के चयन एवं आपूर्ति सम्बन्धी दिशा–निर्देश

भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत पुस्तकालय मद में स्वीकृत धनराशि से राजकीय विद्यालयों में पुस्तकालय सम्बन्धी पुस्तकों के चयन एवं आपूर्ति हेतु NCERT, NBT, CIIL, IB, साहित्य अकादमी **State/SCERT Publication** तथा निजी प्रकाशकों से पुस्तकों के नमूने निम्नलिखित दिशा–निर्देशों एवं शर्तों के साथ आमंत्रित किये जाते हैं।

- उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय प्राथमिक (कक्षा–01 से 05), उच्च प्राथमिक (कक्षा–06 से 08), माध्यमिक (कक्षा–09 से 10) एवं उच्च माध्यमिक (कक्षा–11 से 12) विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए छात्रोपयोगी एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें क्रय की जानी है। **(पाठ्य–पुस्तकों को छोड़कर)**
- पुस्तकें उत्तराखण्ड के स्थानीय साहित्य, कला, लोककथा त्यौहार, परम्पराएं, भौगोलिक परिदृश्य, लोकगीत एवं स्थानीय/क्षेत्रीय/मातृ/जनजातीय भाषा से सम्बन्धित होंगी।
- पुस्तकों के नमूने निःशुल्क Catalogue के साथ में ही मान्य होगी।
- पुस्तकें वितरकों को प्रकाशक/फर्म केवल उसी स्थिति में पुस्तक के नमूने देंगे जब उन्हें अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र दिया गया हो तथा यह प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को स्वघोषक के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- उपलब्ध करायी गयी पुस्तकें अनिवार्यतः संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, सद्भाव, नैतिक मूल्यों, महापुरूषों की कहानियों, भारतीय संस्कृति विरासत, खेल, कला, संगीत, स्वास्थ्य, पर्यावरण से सम्बन्धित, राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों तथा स्वरोजगार एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाली, स्वावलम्बी बनाने वाली आदि पर आधारित होनी चाहिए।
- छात्रों के लिए प्रस्तुत पुस्तकों में ऐसा कोई भी शब्द या वाक्य नहीं होना चाहिए जो किसी जाति, धर्म या सम्प्रदाय विशेष की भावनाओं को आहत करे एवं बच्चों के मनःस्थिति तथा चरित्र पर विपरीत प्रभाव डाले।
- पुस्तकों की विषयवस्तु विवादास्पद न हो, पुस्तक सरल एवं आसान भाषा में लिखी गयी हो किन्तु पाठ्य वस्तु गुणवत्तापूर्ण हो, आकर्षक एवं साफ–सुथरे रूप में मुद्रित हो एवं रूचिपूर्ण और शिक्षाप्रद होना चाहिए।
- पुस्तकें, स्टोरी बुक्स, बालोपयोगी मैगजींस और कॉमिक्स, विभिन्न महान हस्तियों की ऑटोबायोग्राफी, पंचतंत्र, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, कला, खेल के नियमों से सम्बन्धित, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, संगीत एवं कला की होनी चाहिए।
- पुस्तकें अनिवार्यतः 06 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी हो।
- पाठ्य पुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक, परीक्षा से सम्बन्धित पुस्तकों एवं 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनुपयोगी पुस्तकों का चयन नहीं किया जायेगा।
- पुस्तक नमूने उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रत्येक फर्म को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। जिसके लिए उन्हें राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पंजीकरण नम्बर भी आवंटित किया जायेगा।
- पुस्तक नमूनों के साथ Catalogue हस्ताक्षर सहित एवं प्रत्येक सेट के ऊपर प्रकाशक का नाम, पता, फोन नं0/मोबाइल नं0 एवं जमा की गयी कुल पुस्तकों की संख्या बोल्ड अक्षर में लिखा होना चाहिए।

31

- प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी पुस्तकों के नमूने अनिवार्य रूप से Catalogue में भी अंकित होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में ऐसी पुस्तकों को चयन से बाहर कर दिया जायेगा।
- लेखक द्वारा सीधे उपलब्ध करायी गयी पुस्तकें चयन में सम्मिलित नहीं करायी जायेगी।
- प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पुस्तकों के नमूनों की आपूर्ति के लिए सम्बन्धित प्रकाशक को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
- पुस्तकों को यद्यपि पूर्णतः सुरक्षित रखने का प्रयास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथापि यदि कुछ पुस्तकें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं या कतिपय कारण से खो जाती हैं तो इसके लिए किसी भी प्रकार का भुगतान प्रकाशक को नहीं किया जायेगा।
- पुस्तक नमूने उपलब्ध कराने में विलम्ब होने पर या उपलब्ध कराये जाने से पूर्व क्षतिग्रस्त होने पर या गुम हो जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रकाशक/पुस्तक वितरक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- चयन समिति द्वारा पुस्तकों के चयन के पश्चात किसी भी एक कार्यदिवस पर प्रकाशक पुस्तक नमूनों को वापिस ले जा सकता है जिसके लिए प्रकाशकों को पृथक से (यथा दूरभाष, ई–मेल आदि) सूचित किया जायेगा।
- अधिक मूल्य वाली पुस्तकों के स्थान पर न्यूनतम मूल्य वाली पुस्तकें चयनित की जायेगी ताकि अधिक से अधिक पुस्तकें, पुस्तकालयों के लिए क्रय की जा सकें। इसी आधार पर प्राथमिक स्तर के लिए रू0 150.00, उच्च प्राथमिक के लिए रू0 250.00 एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के लिए रू0 350.00 तक की अधिकतम मूल्य वाली पुस्तकों की सीमा निर्धारित की जा सकती है। तथापि अपरिहार्यता में इससे अधिक मूल्य पर भी विचार किया जा सकता है।
- सूची पत्र में प्रत्येक प्रस्तावित पुस्तक/पत्रिका का आई0एस0बी0एन0 का उल्लेख होना आवश्यक है।
- प्रकाशक/पुस्तक वितरक द्वारा यदि गलत तथ्यों के साथ पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं तो इसके लिए सम्बन्धित प्रकाशक/पुस्तक वितरक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
- पुस्तकों का चयन राज्य स्तर पर गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- पुस्तकों के चयन का निर्णय पूर्णतः विभाग के पास सुरक्षित रहेगा तथा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की पृच्छा/पत्र व्यवहार का उत्तर नहीं दिया जायेगा।
- किसी भी प्रकाशक/पुस्तक वितरक द्वारा पुस्तकों के चयन सम्बन्धी कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। किसी भी प्रकाशक/पुस्तक वितरक द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो सम्बन्धित की पुस्तकों को चयन से बाहर कर दिया जायेगा।
- किसी भी प्रकाशक द्वारा यदि राजकीय प्रकाशक होने का दावा किया जाता है तो इस हेतु सक्षम स्तर से प्रदत्त प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अन्यथा उसे निजी प्रकाशक की श्रेणी में रखा जायेगा।
- निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का चयन उत्तराखण्ड राज्य के लिए उपयोगी एवं स्थानीय भाषा के परिपेक्ष्य में ही किया जायेगा।
- पुस्तकों का वर्गीकरण विद्यार्थियों के आयु समूह को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। कक्षा–01 से 5वीं तक बुलबुल, कक्षा–06 से 8वीं तक कोयल एवं कक्षा–09वीं से 12वीं तक के पुस्तकों को मैना श्रेणी के नाम से जाना जायेगा।

- सभी पुस्तकों के कवर पेज पर बुलबुल/कोयल/मैना लोगो मुद्रित किया जायेगा अथवा स्टीकर लगाया जायेगा इसके साथ ही समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड एवं जिस वर्ष पुस्तक क्रय किया गया है उस वर्ष (वर्ष 2023–24) के साथ Only Government Supply, Not for Sale अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। लोगो भारत सरकार के वेबसाइट https://Indianschoollibraryassociationonline.files.wordpress. com/2020/05/lib grants.pdf से डाउलोड किया जाय अन्य लोगो मान्य नहीं होंगे।
- पुस्तक नमूने दिनांक 30 अगस्त 2023 अपराहन 5:00 बजे तक अनिवार्यतः राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, नालापानी, देहरादून के सभागार में उपलब्ध हो जानी चाहिए, उसके बाद प्राप्त पुस्तकों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- पुस्तक नमूने प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के मध्य किसी भी कार्यदिवस में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, नालापानी, देहरादून के सभागार में उपलब्ध करायी जा सकती है।

पुस्तक नमूने उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु मो0 नं0–7900833206, 7906995584, 8218103434, पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

(बंशीधर तिवारी)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड